भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

क्रमांक /बीडा/आयोजना/ 2629/20

संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र

दिनांक 28/10/20

मै० आशियाना हाउसिंग लि० 4 फ्लोर, आशियाना विलेज सेन्टर, वसुन्धरा नगर, भिवाड़ी

विषयः– मै० आशियाना हाउसिंग लि०, पंजीकृत कार्यालय 5–एफ एवरेस्ट, 46/सी, चौरंगी रोड कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केसव सिंह निवासी फ्लेट नं0 बी / 155, आशियाना गार्डन भिवाडी द्वारा ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 779, 780, 782, 925 / 829, 781, 783, 927 / 844, 929 / 828 कुल किता 08 कुल क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के स्वीकृत मानचित्रों की समयावधि बढाने की स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 03.09.2020 के अनुसार ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 779, 780, 782, 925/829, 781, 783, 927/844, 929/828 कुल किता 08 कुल क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मी0 है पर मूल भवन निर्माण स्वीकृति न्यास भिवाडी के पत्र कमांक 651/16 दिनांक 16.02.2016 को जारी की गई थी। बींडा भिवाडी द्वारा उपरोक्त प्रकरण को बीडा की भवन मानचित्र समिति की 09 बैठक दिनांक 11.09.2020 के एजेण्डा नं0 03 में पूर्व में जारी मूल भवन निर्माण स्वीकृति में समिति द्वारा पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं तथा भवन मानचित्रो का अवलोकन कर संवेसम्मति से विचार विमर्श कर प्रकरण में स्वीकृत मानचित्रों की समयावधि एकीकृत भवन विनियम के नियमानुसार राशि जमा कराकर 2 वर्ष बढाये जाने तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 15.05.2020 के अनुसार 6 माह अर्थात कुल 2.5 वर्ष की समयावृद्धि करने का का निर्णय निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया:--

- 01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र / लीजडीड में उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन, अधिकतम मूल स्वीकृति 16.02.2016 से 5 वर्ष हेतु मान्य थी जो कि अब 2 वर्ष 6 माह बढ़ाकर 7 वर्ष 6 माह के लिए मान्य होगी।
- 02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेंशन) नहीं किया जायेगा।
- 03. मूल भवन निर्माण अनुमति पत्र दिनांक 16 02 2016 की समस्त शर्त यथावत मान्य होगी।

4

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त्र का पालन नहीं होने पर भवन निर्माण अन्ज्ञा रदद मानी जायेगी।

वरि० जगर नियोजक बीडा भिवाडी

क्रमांकः आयोजना / दिनांकः प्रतिलिपिः– अधिशाषी अभियन्ता, बीडा भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि० नगर नियोजक बीडा भिवाडी

भवन निर्माण अनुमति पत्र

दिनांक 16/02)16

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

ॅमै० आशियाना हाउसिंग लि0 4 फ्लोर, आशियाना विलेज सेन्टर, वसुन्धरा नगर, भिवाड़ी

क्रमांक 651 /18

विषयः— मैo आशियाना हाउसिंग लिo, पंजीकृत कार्यालय 5—एफ एवरेस्ट, 46/सी, चौरंगी रोड कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केसव सिंह निवासी फ्लेट नंo बी/155, आशियाना गार्डन भिवाडी द्वारा ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहo तिजारा के खसरा नंo 779, 780, 782, 925/829, 781, 783, 927/844, 929/828 कुल किता 08 कुल क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मीo भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति हेत्।

सन्दर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2015

आपका आवेदन दिनांक. 06.08.2015 द्वारा मै० आशियाना हाउसिंग लि०, पंजीकृत कार्यालय 5–एफ एवरेस्ट, 46/सी, चौरंगी रोड कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री केसव सिंह निवासी पलेट नं० बी/155, आशियाना गार्डन भिवाडी द्वारा ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं० 779, 780, 782, 925/829, 781, 783, 927/844, 929/828 कुल किता 08 कुल क्षेत्रफल 48478.88 वर्ग मी० भूमि का आवासीय परियोजना के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है। उक्त भवन मानचित्री को भवन मानचित्र समिति की 51वी बैठक दिनांक 10.09.2015 में लिये गये निर्णयानुसार अनुमोदन कर भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है:–

- 01. यह स्वीकृति जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक मान्य रहेगी।
- 02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं भवन विनिमय 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेंशन) नहीं किया जायेगा।
- 03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
- 04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
- 05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
- 06. न्यास की अभियान्त्रीकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
- 07. प्लिन्थ लेवल तक निर्माण की सूचना पंजीकृत वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेगे। सही निर्माण पाए जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित / प्रस्तुत मानचित्र (13.4 व 13.5 के प्रावधान में आने वाले प्रकरणो के लिए प्रस्तुत मानचित्र) के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।
- 08. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
- 09. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
- 10. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में न्यास को देनी होगी।

- 11. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
- 12. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावें तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें मानचित्र में दर्शाये अनुसार भू–तल का उपयोग किया जावेगा।
- 13. भवन विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप विकासत्ता द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान, अग्नि शमन हेतु प्रावधानो, विकलांगो हेतु प्रावधान आदि की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- 14. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी0 रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
- 15. भूखण्डो पर निर्माण हेतु स्वीकृत साईट प्लान के अनुरूप सैट बेक्स व अन्य प्रावधान सुनिश्चित करने होगे।
- 16. भूखण्ड में आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, सेपटिंक टेंक, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि का प्रावधान किये जाने की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्त्ता की होगी।
- 17. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
- 18. अधिवास प्रमाण–पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
- 19. पार्किंग का प्रावधान भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होगे।
- 20. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होगे तथा इस बाबत संबंधित विभाग से अग्नि शमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 21. EWS हेतु 68 एवं LIG हेतु 31 कुल 99 फ्लेट प्रस्तावित किये गये है। इन ईकाईयो का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.05.2012 एवं एफोंडेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- 22. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिज़ाईन की जाकर तदानुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
- 23. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्त्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
- 24. भवन विनियामों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
- 25. विकासकर्ता द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाईन्स की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रदद मानी जायेगी।

वरि0 नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी


संलग्नः- भवन मानचित्र (। 🛚)


क्रमांकः आयोजना/

दिनांकः

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि० नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी





FLOOR WISE PER FLOOR		PER FLOOR	A1 TO A8 82,008.448		<u> </u>	62,106.048 SqM.		PLOT 1. To
FLOOR WISE	BUILT-UP AREA	FAR AREA	B1 & B2	11,893.60	<u> </u>	9,0	12.00 SqM.	2. To
BASEMENT FLOOR	3156.13 SqM.		С	5,002.16		189	0.78 SqM(Commercial)	
GROUND FLOOR	2928.34 SqM. (In All blocks)	189.78 SqM.	D	1,143.41(CLUB	HOUSE)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5. 5%
1st FLOOR	9646.342 SqM.	6573.442 SqM.	E	10,251.056	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7,7	′63.256 SqM	- FA
2nd FLOOR	9239.612 SqM.	6573.442 SqM.	Basement	Basement 3156.13 PODIUM 785.39		1	-	
3rd FLOOR	9239.612 SqM.	6573.442 SqM.	PODIUM below parkin			79,071.084 (Residental& Commercial)		48,4
	9239.612 SqM.	6573.442 SqM.	TOTAL	1,14,240.194 9	SqM.			-
4th FLOOR		6573.442 SqM.						
5th FLOOR	9239.612 SqM.		EWS & LIG Built up Area Req RESIDENTIAL F A R AREA = 78,881.304 SqM				Max	
6th FLOOR	9239.612 SqM.	6573.442 SqM.	TOTAL F A R AREA = 79,071.084 SqM. 5%(79,071.084) EWS & LIG BUILT UP AREA = 3953.55 SqM. TOTAL EWS & LIG BUILT UP AREA PROVIDED = 3958.47 SqM. COMMERCIAL AREA 3% PERMISSIABLE.(78881.304)= 2366.439 SqM. COMMERCIAL AREA					grou
7th FLOOR	9239.612 SqM.	6573.442 SqM.						
8th FLOOR	8614.342 SqM.	6573.442 SqM.						
9th FLOOR	8614.342 SqM.	6573.442 SqM.	TOTAL LIG & EWS UNIT = 99 NOS					Tota
10th FLOOR	8614.342 SqM.	6573.442 SqM.	=(764.55+827.52)=1592.07 SqMt. TOTAL LIG & EWS BUILT UP AREA =3958.47 SqMt. SERVICES AREA UTILIZES = 1045.99 Sq (STP, ESS & DG ETC)				7% PERMISSIABLE. (48478.88)= 3393.52 SqM.	
11th FLOOR	8614.342 SqM.	6573.442 SqM.					5	
12th FLOOR	8614.342 SqM.	6573.442 SqM.						
				WS UNIT = 9 NOS X 7 FL + 5 $\frac{1}{2}$				
TOTAL	1,14,240.194 SqM.	79,071.084 SqM.	PER FLOOR L	IG UNIT <u>= 04 NOS X 7 FL + 1</u> TOTAL LIG & EWS U			•	
tree req.	- , <u>,</u>		HARVESTIN	G REQ.				
150 SqM. 1 ti	ree rea.		net plot area therefore 100	=48,478.88 Sqm	GREEN	AREA	STATEMENT	SE
-	a 48478.88 SqN			ng chamber req.	GREEN		5573.955 sq.mt.	C
•	/150 = 323.19 F	4	48,478.88/100 SAY = 48	0 = 48.47 req.	GREEN	1-1		
say = 324	,		provided = 49 nosGREENunder ground water tank req.GREENTotal F A R Area = 79,071.52 SqmGREENtherefore 10,000 sqmtGREEN		I-3 788 16 Sq mt			
provided = 33	30 nos							
	uffer area = 11,	217.805 SqM					. [
			FAR per 20	,000 Lit Req.	(PODIUN	M)		
			No of Water T	ank	TOTAL		11,217.805 sq.mt.	

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, निवाडी भवन विनियन 2000 की धारा 8.15 के दिशा लिर्देशों के अनुसार वर्जाजल संग्रहण का प्रस्तातिन भवन में दिरोप भावधान रखा जाने अन्यशा न० चि० म्याङ दारा भवन निर्णाता के विरूख नि अयन्तरं कार्यवाही की जावेगी।

मनर विकास न्यास, भिवाडी भवम भिनिजम 2009 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अमुखार सारीरिक रूप से विजलांग वार्णितकों के लियें जस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्त्रधा पर्व दिव म्लास द्वारा भवन निर्वाता के विराह निज्मानुसार कार्यपारी की जावेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि समन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनिचमों के ावपानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को र्जनिरिचत किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति रवामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना उन्जेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बद्धी अध्यिकारी ही प्रभावित होगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

भारत सरकार की अधिरहाना दिनांक 14.09.2005 सौं प्रालग में राज्य सरकार यो परिपत्र दिनांक **04.62.2011 के अनुसार 20000 वर्ग भी**लर से अविक का निर्माण प्राटना करने से नुई "भर्दाजरण प्रमाण षत्र" अनापति प्रनाण नज आयेवक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान–चित्रो में दर्शाके गचे भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) को दावित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as nor Rulas

EA DETAILS:-DETAILS = 56,667.00 SqM. tal plot area as per revenue = 53,325.56 SqM. tal plot area as per survey plan rrender in 30M wide road area = 2295.17 SqM. maining plot area = 53,325.7256-2295.17 = 51,030.39 SqM. Area For Facilities = 2,551.51 ScM. et Plot Area = 48,478.88 Sqmt ? Alloweble 8.88 x 1.83 (1.33+0.50) = 88,716.35 SqM $5.17 \times 1 = 2,295.17 \text{ SqM}$ LAREA = 91,011.52 SqM mum ground coverage alloweble(48,478.88) = 35% (16967.608 SqM) nd coverage Achieved = 25.5 % (12,543.71 SqM)Green Area Req. (48,478.88) = 10 % (4847.88 SqM) l Green Area Provided. = 23 % (11,217.805 SqM)MISSABLE FAR UTILIZED FAR AREA 79,071.084 SQM

RVICE AREA STATEMENT **SUARD RM** 11.76 sq.mt. 553.85 Sq.Mt TP 80.00 Sq.Mt) **G** SS 198.01 Sq.mt 202.37 Sq.mt GAS BANK TOTAL 1045.99 sq.mt.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt.10.9.15 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 651 52. Dt. 16.2.16

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ोओ

PLOT DETAILS Proposed Residential Group housing Ashiana Tarang at Bhiwadi, ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 779,780.781,782, 783 , 925 / 829 ,927 / 844, 929 / 828 Village :- Milakpur Gujar Teh. Tijara ; Dist Alwar Rajasthan Project: Ashiana Tarang at Bhiwadi

SHEET NO.01/14

Developer: ASHIANA HOUSING LTD

Sheet title: MAIN SITE PLAN SCALE- 1:750 -


1 For ASHIANA HOUSING LIMITED Sampt trugupto EXSWAJIT SENGUPTA B. Arch, FIIA, AIIID Regd. Architect : CA/75/686 Authorised Signatory


SIGNATURE OF AUTHORITY SIGNATURE OF ARCHITECT

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाडी (अलवर)

E







-


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	CILL. LEV.	LIN. LEV.	SHEET NO.	,
	D	1.050	2.100	0.00	2.100	अनुमोदित	TALL GUIDELINES/PARAMETERS OF
	D1	.910	2.100	0.00	2.100		TALL GUIDELINES/PARAMETERS C. NGT (NATIONAL GREEN TRIBUNAL) COURT SHALL BE FOLLOWED.
	D2	.750	2.100	0.00		तगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के	
	SD	2.000	2.350	0.00	2.350	निजा हिर्देशों के अनसार वयोजल	Applicants should get plinth construction checked at plinth level before proceeding for
	W W1	1.525 .900	1.600	.750	2.350	संग्रहण का प्रस्तति भवन में विरोष प्रावधान रखा जातें अन्वथा न० दिन	further construction.
<u> </u>	W2	.600	1.200	1.150	2.350	म्यास द्वारा भवन निर्धाता को विरूख निक्ष्मानुह कार्यवाही की वायेगी।	
			- I	गर्य भवन का दासित्व THESE	ये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शावे निर्माण की संरचना (STRUCTURE) प्रार्थी का ही होगा।" PLANS ARE VALID PTO FIVE YEAR	नगर विकास न्याल, मियाडी भष्म विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अपुराह सारीरिक रूप से विवरलांग कांक्स हो जिन्दें प्रलाधि। भवन में विशेष प्रातथान रखा लायें अच्या न० पि न्यास द्वारा मयन निर्माता ये दिरुद्ध निवमानुसार कार्यवाही की जाये	इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नही माना जावेगा। और न ही इसते किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे। भारत सरकार की अधिसूपना दिनांक 14.09.2004
	- · · ·		•	FROM D पार्किंग	ATE OF ISSUE क्षेत्र का उपयोग केवल हेतु किया जावेगा।	विरूद्ध नियमानुसार कार्यसर विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेरानल बिल्डिंग फ्रोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन बिनिचमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।	की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनाव 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग वीउर से अधि का निर्माण प्रारम्भ करने तो पूर्व "वर्षावरण प्रमा पत्र" अनापति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किय जाना अनिवार्च होगा।
water tank		0		Rain	Water Harvesting Unite be Provided as per Rules.		Parking Alea Win De Offorfopoldy
					NITERRACE FLOOR LVL +38.850 CO N TWELFTH FLOOR LVL +35.900	PLOT DETAILS Proposed Residential Group at Bhiwadi , ASHIANA HOU Khasra No. 779,780.781,782 929 / 828 Village :- Milakpur Alwar Rajasthan	SING Ltd. 2, 783 , 925 / 829 ,927 / 844,
						Project: Ashiana Tarang at	Bhiwadi
						Developer: ASHIANA	HOUSING LTD
					C NINETH FLOOR		
				Σ	LVL +27.050 CC CC CC CC CC EIGHTH FLOOR	Sheet title: FLOOR PLAN, & SECTION	Block-E 2bhk & 3bhk
					C C C C C C C C C C C C C C	SCALE- 1:100	
					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
						For ASHIANA HOUSING LIMITED	Bompt - Lungupto EISWAJIT SENGUPTA
						Authorised Signatory	B. Arch, FIIA, AIID Regd. Architect : CA/75/886 Y SIGNATURE OF ARCHITEC
					GROUND FLOOR		· <u> </u>
ç	SECTIO	N AT A	A	 _ _ _ _ _ _ _	N.G. LVL ±0.000		
-	· · · · ·	-		Adequa to be P Norms,	te Light and Vantilation rovided as per N.B.C.		
		· ·			से पानी गरम करने का ार प्रावधान किया जावे।	fish	Y
					ओ–हरियाली बढ़ोओ	सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी	वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाडी (अलवर)
		<u>}</u>		Building P	ance of Layout Plan/ lan Committee Dt.(0,.9.15 f Building Plans		



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT





Rear Elevation Mkd-3

SIXTH FLOOR UN - FIEST FLOOR LVL. - FIRST FLOOR LVL.				LIFT DRIVING HALL	
गर्य भवन निम	दे अनुमोदित मान-चि णि की सरचना (STR र्थी का ही होगा।''			SEC	CTION AT B-B
+			<u>↓</u> <u>Ł</u>		
السولية ROOR السولية Roor	LANS ARE VA PTO FIVE YEAR ATE OF ISSU ते का उपयोग ते किया जावेग के किया जावेग witer Harvesting Provided as per				
Signature THESE P Signature ONLY UP Image: FROM D/ Signature FROM FROM	LANS ARE VA TO FIVE YEAR ATE OF ISSUE TATE OF ISSUE Tag का उपयोग Tag किया जावेग ter Harvesting Provided as per Light and Vantifia vided as per N.1 ter urfl गरम व Te पानी गरम व				

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. 14/14 TALL GUIDELINES/PARAMETERS OF NGT (NATIONAL GREEN TRIBUNAL) COURT SHALL BE FOLLOWED: अनुमोदित Applicants Should get the construction checked at plinth नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के TERRACE FLOOR LVI level before proceeding for further construction. दिशा निर्देशो के अनुसार वर्धाजल संग्रहण का प्रस्तादल भवन में विशेष सग्रहण को बदसाय प्रावधान रखा जातें जन्द्रशा न० थि० न्यास द्वारा भइन निर्माता के विरूद TWELFTH FLOOF इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भा भांति प्रशनगत भूमि/भूठण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण–पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे। KG HAN निखगानुार कार्यवाही की जायेगी। ELEVENTH FLOOR नगर विकारा न्यास, भिवाडी भवन् विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा TENTH FLOOR LVL +30.000 निर्देशों के अपुतार सारीटिक रूप से विकलांग माहित्यों के लियें प्रस्तादित भारत सरकार को अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ष मीठर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र अधेवफ हास प्राप्त धिन्वा अवन में दिशेव प्रावधान रखा जावें NINETH FLOOR LVL +27.050 अन्यथा न० यिः न्यत्व हारा भवन लिमतिः े दिख्या भिवजनुसार कार्यवाही को सह EIGHTH FLOOR जाना अनिवार्य होगा। 🦉 📲 🛛 विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड Parking Area Will Be UTI's Property ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनिचमों के आवधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को G HAL र्तनिश्चित किया जावेगा। PLOT DETAILS G HAL. Proposed Residential Group housing Ashiana Tarang at Bhiwadi, ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 779,780.781,782, 783 , 925 / 829 ,927 / 844, σ 929 / 828 Village :- Milakpur Gujar Teh. Tijara; Dist Alwar Rajasthan SECOND FLOOR LVL +6.400 Project: Ashiana Tarang at Bhiwadi FIRST FLOOR LVL +3.450 **Developer:** 0.500 GROUND FLOOR ASHIANA HOUSING LTD N.G. LVL ±0.000 Sheet title: Block-E **ELEVATIONS & SECTIONS** 2bhk & 3bhk MMMMMMM SCALE- 1:100 TERRACE FLOOR LVL +38.850 TWELFTH FLOOR LVL +35.900 TENTH FLOOR LVL +30.000 For ASHIANA HOUSING LIMITED Bernjit tungupts NINETH FLOOR EISWAJIT SENGUPTA B. Arch, FIIA, AllD Regd. Architect : CA/75/886 Authorised Signatory EIGHTH FLOOR LVL +24.100 SIGNATURE OF AUTHORITY SIGNATURE OF ARCHITECT SEVENTH FLOOR LVL +21.150 SIXTH FLOOR LVL +18.200 FIFTH FLOOR FOURTH FLOOR LVL +12.300 THIRD FLOOR SECOND FLOOR En संहायक नगर नियोजय वरिष्ठ नगर नियोजक ेंनगर विकास न्यास, नगर विकास न्यास भिवाडी (अलवर) FIRST FLOOR LVL +3.450 भिवाड़ी N.G. LVL ±0.000 tion Mkd-4